

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2018—श्रावण 26, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	दिनांक 18 से 22 जून 2018 तक	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 जून 2018 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 एवं 24 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-13-2017-एक (1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. पी. गुप्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दिनांक 8 से 11 मई 2018 तक.	चार	कम्प्यूटेड अवकाश	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

5447

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्र. एफ 3-3-2018-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2018 के निर्वाचन हेतु परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान हेतु दिनांक 3 अगस्त 2018 शुक्रवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमल नागर, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

उप निर्वाचन

पंचायत पूर्वार्ध 2018 (चरण-प्रथम)

परिपत्र क्रमांक-एफ 37/पीएन-01/2018/तीन/353, भोपाल, दिनांक जुलाई 9 2018
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 तथा धारा 9 (2) (क)
मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का नियम 28

स. क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित दिनांक	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28, 29	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	18 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	19 जुलाई 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	21 जुलाई 2018	शनिवार	अपराह्न 3:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	21 जुलाई 2018	शनिवार	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	3 अगस्त 2018	शुक्रवार	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक.
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.	28(ड), 28 (च)			
	(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए).		3 अगस्त 2018	शुक्रवार	मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात्.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ii)	सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना.	7 अगस्त 2018	मंगलवार	प्रातः 8:00 बजे से	
(iii)	पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	9 अगस्त 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से	
(iv)	पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	9 अगस्त 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से	
(v)	सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	7 अगस्त 2018	मंगलवार	प्रातः 10:30 बजे से	
(vi)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.	7 अगस्त 2018	मंगलवार	प्रातः 10:30 बजे से	
(vii)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	8 अगस्त 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से	

हस्ता./-
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

आम निर्वाचन

पंचायत पूर्वार्ध 2018 (चरण-प्रथम)

परिपत्र क्रमांक-एफ-37/पीएन-01/2018/तीन/353, भोपाल, दिनांक जुलाई 9 2018

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 तथा धारा 9(2)(क)

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का नियम 28

स. क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28, 29	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	18 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	19 जुलाई 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	21 जुलाई 2018	शनिवार	अपराह्न 3:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.	38, 39	21 जुलाई 2018	शनिवार	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	3 अगस्त 2018	शुक्रवार	प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक.
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.	28(च)	20 जनवरी 2018	शनिवार	प्रातः 9:00 बजे से
(i)	मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए).	3 अगस्त 2018		शुक्रवार	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्.
(ii)	सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना.	7 अगस्त 2018		मंगलवार	प्रातः 8.00 बजे से
(iii)	पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	9 अगस्त 2018		गुरुवार	प्रातः 10.30 बजे से
(iv)	पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	9 अगस्त 2018		गुरुवार	प्रातः 10.30 बजे से
(v)	सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	7 अगस्त 2018		मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
(vi)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.	7 अगस्त 2018		मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
(vii)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	8 अगस्त 2018		बुधवार	प्रातः 10.30 बजे से

हस्ता./-

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

परिशिष्ट-दो

पंचायतों के आम/उप निर्वाचन जुलाई-अगस्त 2018 में सम्पन्न कराने हेतु
रिक्त पदों की जिलेवार अनन्तिम (Provisional) जानकारी

स. क्र.	जिला	उप निर्वाचन हेतु संभावित रिक्त पदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में)				आम निर्वाचन हेतु पदों की संख्या	
		पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य	पंच	सरपंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मुरैना	152	1	—	—	—	—
2	श्यामपुर	279	1	—	—	—	—
3	भिण्ड	15	1	—	—	—	—
4	ग्वालियर	7	3	—	—	—	—
5	शिवपुरी	234	3	—	—	—	—
6	दतिया	374	—	—	—	—	—
7	गुना	7	4	—	—	—	—
8	अशोकनगर	57	2	—	—	—	—
9	उज्जैन	304	5	—	—	—	—
10	नीमच	9	4	—	—	—	—
11	रतलाम	93	3	—	—	—	—
12	शाजापुर	165	6	—	—	—	—
13	आगर-मालवा	3	—	—	—	—	—
14	मंदसौर	7	2	—	—	—	—
15	देवास	376	—	—	—	—	—
16	भोपाल	157	1	—	—	—	—
17	सीहोर	41	1	—	—	—	—
18	विदिशा	189	3	—	—	—	—
19	राजगढ़	147	1	—	—	—	—
20	रायसेन	307	1	1	—	—	—
21	होशंगाबाद	15	4	—	—	—	—
22	हरदा	1	—	—	—	—	—
23	बैतूल	92	6	—	—	10	1
24	इन्दौर	10	—	—	1	—	—
25	झाबुआ	0	1	—	—	—	—
26	अलीराजपुर	7	—	—	—	—	—
27	धार	17	1	1	—	—	—
28	खरगौन	140	5	3	—	—	—
29	बड़वानी	84	2	—	—	—	—
30	खण्डवा	11	3	—	—	—	—
31	बुरहानपुर	85	—	1	—	—	—
32	सागर	47	1	—	—	—	—
33	टीकमगढ़	20	—	1	—	—	—
34	पन्ना	3	1	—	—	—	—
35	छतरपुर	6	1	—	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	दमोह	102	1	1	—	—	—
37	जबलपुर	10	2	—	—	—	—
38	कटनी	14	4	—	—	—	—
39	नरसिंहपुर	19	1	1	—	—	—
40	छिन्दवाड़ा	20	1	1	—	—	—
41	सिवनी	10	3	—	—	—	—
42	बालाघाट	47	3	—	—	—	—
43	मण्डला	21	6	1	—	—	—
44	रीवा	76	2	1	—	—	—
45	सतना	24	2	—	—	—	—
46	सीधी	22	0	—	—	—	—
47	सिंगरौली	9	2	—	—	180	9
48	शहडोल	8	3	1	—	—	—
49	अनूपपुर	20	3	—	—	—	—
50	उमरिया	10	5	—	—	—	—
51	डिण्डोरी	16	3	—	—	—	—
योग . .		3889	108	13	1	190	10

टीप.—कृपया उक्त जानकारी को अनिवार्यतः वेरिफाई एवं अपडेट करना सुनिश्चित कर लें.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-4-2018-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2018 (पूर्वाद्ध) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन हेतु परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान हेतु दिनांक 3 अगस्त 2018 शुक्रवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2018 (पूर्वाद्ध) रिक्तियों की अनन्तिम सूची

1. अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन

स.क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम
(1)	(2)	(3)
1	देवास	नगर परिषद्, करनावद
2	राजगढ़	नगर परिषद्, खिलचीपुर

नगर परिषद् सिरमौर, जिला-रीवा, नगर परिषद्, करही पाण्डल्याखुर्द, जिला-खरगौन एवं नगर परिषद् लांजी, जिला बालाघाट के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन-2018

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	11-7-2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
2	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	11-7-2018	बुधवार	उपरोक्तानुसार
3	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	11-7-2018	बुधवार	उपरोक्तानुसार
4	मतदान	75-ग (एक)	3-8-2018	शुक्रवार	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक.
5	मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	75-ग (दो) 75-ज	7-8-2018	मंगलवार	प्रातः 9:00 बजे से

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

उप निर्वाचन नगरीय पूर्वार्ध 2018 (चरण-प्रथम)

परिपत्र क्रमांक-एफ 53/एनएन-03/2018/पांच/496, भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1), 20 (2) (क)

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1), 36 (2) (क)

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, नियम, 1994 का नियम 21

स. क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 (क)	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	11 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	18 जुलाई 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21 (ख)	19 जुलाई 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	21 जुलाई 2018	शनिवार	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	30, 31	21 जुलाई 2018	शनिवार	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	3 अगस्त 2018	शुक्रवार	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक.
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.	21(ङ)	7 अगस्त 2018	मंगलवार	प्रातः 9:00 बजे से

हस्ता./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2018

क्र. एफ 1(बी)60-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 7048-03-2017-चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मैरिट/क्रमांक/अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1	43/170365	सुश्री शालिनी उइके	STF	ST	सहायक संचालक, वित्त के पद पर कार्यरत होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर.
2	46/117501	सुश्री सुनीता नरगावे	STF	ST	सहायक संचालक, वित्त के पद पर कार्यरत होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

क्र. एफ-1(ए) 59-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री पंकज कुमावत, भापुसे, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड को दिनांक 23 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर लेह (जम्मू एण्ड कश्मीर) जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

(2) श्री पंकज कुमावत, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री रूडोल्फ अल्वारेस, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमावत, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज कुमावत, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमावत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-1(ए) 28-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), भोपाल को दिनांक 17 से 20 जुलाई 2018 तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत कर्नाटक जाने हेतु अवकाश यात्रा अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ अनुमति प्रदान स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

(2) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री धर्मवीर सिंह यादव, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 131-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 16 से 28 जुलाई 2018 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत अवकाश यात्रा अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री श्रीकांत शर्मा, रापुसे, उप सेनानी आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-41-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री निवेदिता नायडू, भापुसे (पी), सहायक पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को दिनांक 26 अप्रैल से 2 मई 2018 की अवकाश अवधि में (बाली) इंडोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री निवेदिता नायडू, भापुसे (पी), को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री निवेदिता नायडू, भापुसे (पी), को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निवेदिता नायडू, भापुसे (पी), अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ-1-42-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रजत सकलेचा, भापुसे (पी), सहायक पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को दिनांक 26 अप्रैल 2018 से 2 मई 2018 की अवकाश अवधि में (बाली) इंडोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजत सकलेचा, भापुसे (पी), को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस अधीक्षक, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रजत सकलेचा, भापुसे (पी), को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत सकलेचा, भापुसे (पी), अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, ग्वालियर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2018 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है।

क्र. एफ-1(ए) 170-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री योगेश देशमुख, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ग्वालियर रेंज को दिनांक 30 जून 2018 से 20 जुलाई 2018 तक, इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल रेंज ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ग्वालियर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3513.—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, श्री हर्ष भदोरिया पिता स्व. श्री देवेन्द्र सिंह भदोरिया को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 जून, 1979 है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3517.—(मेरिट क्र. 24), राज्य शासन श्री बिजेन्द्र कुमार धनखड पिता श्री रामकंवार को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला रेवाडी (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 06 अक्टूबर, 1974 है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3524.—(मेरिट क्र. 04), राज्य शासन श्री जितेन्द्र कुमार पाराशर पिता श्री किशन प्रसाद पाराशर को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर

अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर, 1976 है।

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2018

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3186-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7, 8, 22, 23, 23-ब, 33, 36, 37, 54, 63, 70, 74-ए, 84-ए, 85-ए एवं 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
"7.	बालाघाट	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी	श्री कमलेश सनोडिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी.
8.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	श्री समीर कुलश्रेष्ठ, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.
22.	छिन्दवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा.
23.	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
23-ब	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री पूरन सिंह, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
33.	डिंडोरी	सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी	श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी.

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	गुना	षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री आशीष श्रीवास्तव (सीनि.), षष्ठम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
37.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचोड़ा	श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचोड़ा.
54.	कटनी	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	श्री रामब्रेश यादव, पंचम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
63.	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री सुधीर मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
70.	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	श्री हिदायत उल्लाह खान, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
74-अ.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर.
84-अ.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	श्री दिनेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद.
85-अ.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	श्री अरविंद कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.
109.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज	श्री निसार अहमद, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3186-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 7, 8, 22, 23, 23-B, 33, 36, 37, 54, 63, 70, 74-A, 84-A, 85-A and 109 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Balaghat	Additional Sessions Judge, Waraseoni.	Shri Kamlesh Sanodia, Additional Sessions Judge, Waraseoni.
8.	Barwani	1st Additional Sessions Judge, Barwani.	Shri Sameer Kulshrestha, 1st Additional Sessions Judge, Barwani.
22.	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara.	Smt. Nisha Vishwakarma Additional Sessions Judge, Amarwara.
23.	Damoh	IInd Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Devendra Deo Dwivedi, IInd Additional Sessions Judge, Damoh.

(1)	(2)	(3)	(4)
23-B.	Damoh	IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Pooran Singh, IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.
33.	Dindori	Sessions Judge, Dindori	Smt. Bhagwati Choudhary, District Sessions Judge, Dindori.
36.	Guna	VIth Additional Sessions Judge, Guna.	Shri Asish Shrivastava (Sr.) VIth Additional Sessions Judge, Guna.
37.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda.	Shri O. P. S. Raghuwanshi, Additional Sessions Judge, Chachoda.
54.	Katni	Vth Additional Sessions Judge, Katni.	Shri Rambresh Yadav, Vth Additional Sessions Judge, Katni.
63.	Morena	IInd Additional Sessions Judge, Jora.	Shri Sudhir Mishra, IInd Additional Sessions Judge, Jora.
70.	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen.	Shri Hidayatullah Khan, IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen.
74-A.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Sarangpur.	Smt. Divyagna Joshi Pandey, Additional Sessions Judge, Sarangpur.
84-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod.	Shri Dinesh Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, Nagod.
85-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan.	Shri Arvind Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, Amarpatan.
109.	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sironj.	Shri Nisar Ahmed, Additional Sessions Judge, Sironj."

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3186-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7, 8, 22, 23, 23-ब, 33, 36, 37, 54, 63, 70, 74-अ, 84-अ, 85-अ एवं 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	बालाघाट	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी	वारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र
8.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.	सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	छिन्दवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	अमरवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र (पुलिस थाना चांद के क्षेत्र से उद्भूत होने वाले प्रकरणों को छोड़कर).
23.	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 23-ए एवं 23-ब के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
23-ब	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	तेंदुखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र
33.	डिंडोरी	सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी	डिण्डोरी का विद्युत् क्षेत्र
36.	गुना	षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.	सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
37.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा	चांचोड़ा का विद्युत् क्षेत्र
54.	कटनी	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	सिविल जिला कटनी समस्त का विद्युत् क्षेत्र
63.	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	जौरा का विद्युत् क्षेत्र
70.	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 में दिए गए क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर).
74-अ.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर	सारंगपुर एवं पचौर का विद्युत् क्षेत्र
84-अ.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	नागौद तथा उचहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत् क्षेत्र.
85-अ.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट विद्युत् क्षेत्र.
109.	बिदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज	सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी का विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-3186-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 7, 8, 22, 23, 23-B, 33, 36, 37, 54, 63, 70, 74-A,

84-A, 85-A and 109 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Waraseoni	Additional Sessions Judge, Barwani.	Electricity area of Waraseoni
8.	Barwani	1st Additional Sessions Judge, Barwani.	All Electricity Area of Barwani (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 9).
22.	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara.	Electricity area of Barwani (excluding the cases arising in the area of Police Station Chand).
23.	Damoh	IIInd Additional Sessions Judge, Damoh.	All Electricity Area of Civil District, Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23-A & 23-B).
23-B.	Damoh	IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.	Electricity Area of Tendukhada
33.	Dindori	Sessions Judge, Dindori	Electricity area of Dindori
36.	Guna	VIth Additional Sessions Judge, Guna.	Electricity Area of Civil District, Guna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 37).
37.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda.	Electricity Area of Chachoda.
54.	Katni	Vth Additional Sessions Judge, Katni.	All Electricity Area of Civil District, Katni.
63.	Morena	IIInd Additional Sessions Judge, Jora.	Electricity Area of Jora
70.	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen.	All Electricity area of Civil District, Raisen (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 71).
74-A.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Sarangpur.	Electricity area of Sarangpur and Pachour.
84-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod.	Electricity area confined in Local Limits of Nagod and Uchchhara.
85-A	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan.	Electricity area confined in Local Limits of Amarpatan.
109	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sironj.	Electricity area of Sironj, Kurwai and Lateri."

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक) 3240-2018.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10, 14, 16, 21 तथा 46-2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“10.	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर
14	श्री इकबाल खान गौरी, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
16.	श्री ललित किशोर विशेष न्यायाधीश, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
21.	श्री अतुल्य सराफ, विशेष न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	रायसेन
46-2	श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा.	मनासा, नीमच	मनासा, नीमच”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1-6-89-XXI-B (1)3240-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 10, 14, 16, 21 and 42-2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
“10.	Shri Ramesh Kumar Shrivastava, Special Judge, Shajapur.	Shajapur	Shajapur

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Shri Iqbal Khan Gauri, Special Judge, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad
16.	Shri Lalit Kishore, Special Judge, Tikamgarh.	Tikamgarh	Tikamgarh
21.	Shri Atulya Saraf, Special Judge, Raisen.	Raisen	Raisen
46-2.	Shri Akhilesh Kumar Dhakad, Additional Sessions Judge, Manasa.	Manasa, Neemuch	Manasa, Neemuch

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-3267-2018.—राज्य शासन एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1731-2018, दिनांक 20 अप्रैल, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 4 मई, 2018 को प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि पत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (2) में, अंक तथा शब्द “तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड” स्थापित किए जाएं.

CORRIGENDUM

F. No. 1-6-89-XXI-B-(1) 3267-2018.—The State Government, hereby, issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B (1) 1731-2018, dated 20th April, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 4th May, 2018 namely:—

In the said Notification in the Schedule, in column (2), for the figure and words “IIIrd Additional Sessions Judge, Bhind” the figure and words “IVth Additional Sessions Judge, Bhind” shall be substituted.

फा. क्र. 3324-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री महेन्द्र कुमार जैन, ए. एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 10, विद्युत् अधिनियम, जिला सागर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर में सचिव के पद पर श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर) के स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3448-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 93 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“93.	शाजापुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 94, 95 एवं 96 में दिये गए विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर).

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3448-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 93 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"93	Shajapur	IVth Additional Sessions Judge, Shajapur.	All Electricity area of Civil District, Shajapur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 94, 95 and 96)."

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3448-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 93 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

स. क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"93.	शाजापुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	श्री एस. एस. गुर्जर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3448-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 93 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"93	Shajapur	IVth Additional Sessions Judge, Shajapur.	Shri S. S. Gurjar, IVth Additional Sessions Judge, Shajapur."

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3484-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स. क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"29.	धार	पंचम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार	श्रीमती वंदना राजपाण्डे, पंचम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3484-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 29 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"29	Dhar	Vth Additional Sessions Judge, Dhar.	Smt. Vandna Rajpandey Vth Additional Sessions Judge, Dhar."

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-3578-2018.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 9, 10, 16, 22, 26, 30, 39, 41, 45, 48, 53, 60, 63, तथा 75 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	श्री हीरालाल अलावा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जोबट.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“9.	श्री गौतम सिंह मरकाम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
10.	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुलताई.	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
16.	श्री पवन कुमार सांख्यवार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
22.	श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, प्रथम न्यायाधीश, वर्ग-1, के अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया.	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
26.	श्री राहुल वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार.	धार	धार	धार	धार
30.	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गुना.	गुना	गुना	गुना	गुना
39.	श्री विवेक शिवहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पाटन.	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
41.	सुश्री पूजा गोले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, के अतिरिक्त न्यायाधीश, थांदला.	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
45.	श्री मेहताब सिंह बघेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गरोठ.	गरोठ	मंदसौर	गरोठ	गरोठ
48.	श्री अजय कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
53.	श्रीमती मनीषा जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रायसेन.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
60.	श्री अनिल कुमार साहू, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सागर.	सागर	सागर	सागर	सागर
63.	श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नागौद.	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
75.	श्री अभिषेक कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीधी.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-3578-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I) 13, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 2, 9, 10, 16, 22, 26, 30, 39, 41, 45, 48, 53, 60, 63, and 75 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	Shri Hiralal Alawa, Civil Judge, Class-I, Jobat.	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
9.	Shri Gautam Singh Markam, IIIrd Civil Judge, Class-I, Betul.	Betul	Betul	Betul	Betul
10.	Smt. Ranjeeta Rao, IIInd Civil Judge, Class-II, Multai	Multai	Betul	Multai	Multai
16.	Shri Pawan Kumar Sankhyawar, IIIrd Civil Judge, Class-1, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
22.	Shri Chandrashekar Jaiswal, Additional Judge to 1st Civil Class-I, Datia.	Datia	Datia	Datia	Datia
26.	Shri Rahul Verma, Ist Civil Judge, Class-II, Dhar.	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
30.	Shri Koushalendra Singh Bhadoriya, Vth Civil Judge Class-I, Guna.	Guna	Guna	Guna	Guna
39.	Shri Vivek Shivhare, 1st Civil Judge, Class-I, Patan.	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
41.	Sushri Pooja Gole, Additional Judge to Civil Judge, Class-II, Thandla.	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla
45.	Shri Mehatab Singh Baghel, Civil Judge, Class-II, Garoth.	Garoth	Mandsaur	Garoth	Garoth

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	Shri Ajay Kumar, IIIrd Civil Judge, Class-I, Narsinghpur.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
53.	Smt. Manisha Jain, Ist Civil Judge, Class-II, Raisen.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
60.	Shri Anil Kumar Sahu, VIIth Civil Judge, Class-I, Sagar.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
63.	Shri Dwarka Prasad Sootrarkar, IInd Civil Judge, Class-II, Nagod.	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
75.	Shri Abhishek Kumar, IIIrd Civil Judge, Class-II, Shdhi.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-3633-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को, सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
“1	श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल.”

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-3633-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be:—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
“1	Shri Alok Awasthi, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal”.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3597-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“1-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर	बालाघाट”.

(दो) अनुक्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“2-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर”.

(तीन) अनुक्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“4-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	बालाघाट”.

(चार) अनुक्रमांक 20 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“20-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	हरदा”.

(पांच) अनुक्रमांक 31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“31-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	पन्ना”.

(छः) अनुक्रमांक 42 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“42-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	श्योपुर”.

(सात) अनुक्रमांक 43 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
"43-ए.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी".

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-3597-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 6th November 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule—

- (I) after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
"1-A.	1st Additional Sessions Judge, Alirazpur	Alirazpur."

- (II) after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
"2-A.	1st Additional Sessions Judge, Anoppur	Anoppur."

- (III) after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
"4-A.	1st Additional Sessions Judge, Balaghat	Balaghat."

- (IV) after serial number 20, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
"20-A.	1st Additional Sessions Judge, Harda	Harda."

(V) after serial number 31, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
“31-A.	1st Additional Sessions Judge, Panna	Panna.”

(VI) after serial number 42, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
“42-A.	1st Additional Sessions Judge, Sheopur	Sheopur.”

(VII) after serial number 43, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
“43-A.	1st Additional Sessions Judge, Shivpuri	Shivpuri.”

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2018

फा. क्र. 3297-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-17(ई)59-इक्कीस-ब (एक) 06, दिनांक 12 दिसम्बर 2006 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत परिवार न्यायालय, इन्दौर में कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुश्री सीमा मालवीय, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था.

कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय (परिवार न्यायालय) के प्रधान न्यायाधीश ने सुश्री सीमा मालवीय को परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है.

अतः प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 13 मार्च 2018 पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार, एतद्वारा परामर्शदाता के पद पर नियुक्त सुश्री सीमा मालवीय की नियुक्ति समाप्त करता है.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2018

फा. क्र. 3475-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, ए. डी. जे. करेरा, जिला शिवपुरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल में सचिव के पद पर श्री गोपाल सिंह नेताम के स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-3633-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपधारों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर."

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-3633-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be:—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Headquarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	Shri Alok Awasthi, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Hoshangabad, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

पंजी क्र. 2993-2018-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, तहसील-कराहल जिला-श्योपुर में नियुक्त नोटरी, श्री हरिओम गुप्ता का दिनांक 29 अक्टूबर 2016 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 22 अगस्त 2008 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 22 अगस्त 2013 को अपास्त करते हुए, श्री हरिओम गुप्ता का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2993-2018-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, जिला-मुख्यालय रघोपुर में नियुक्त नोटरी, श्री गोपाल मूर्ति दुबे का दिनांक 1 नवम्बर 2017 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 17 जून 1994 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 17 जून 2013 को अपास्त करते हुए श्री गोपाल मूर्ति दुबे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2018

सूचना

क्र. एफ-3-212-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा देवास निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर निगम देवास, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कार्यालय देवास, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

NOTICE

No. F-3-212-2012-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan, 2031 for Dewas Planning Area, under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain, Madhya Pradesh.
2. Collector, Dewas, Distt. Dewas, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Municipal Corporation Dewas, Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Dewas, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

सूचना

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-101-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1577-उपां-टीसी-23-2017, दिनांक 22 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोटरा सुल्तानाबाद	147, 151, 152	5.538 में से 1.214 हेक्टेयर	वाणिज्यिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (कार्यालय भवन) एवं 45 मीटर चौड़ा मार्ग.
कुल रकबा . .			5.538 में से 1.214 हेक्टेयर		

शर्तें :—

1. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2018

अधि. 25 क्र. एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 71 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जारी अधिसूचना क्रमांक 04 एफ-1-13-2016-अठारह-3, दिनांक 30 जनवरी 2018 से नगरपालिक निगम, इन्दौर में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को पार्षद के रूप में मनोनीत किये गये थे. उक्त जारी अधिसूचना के कॉलम 6 के क्रमांक 5 में त्रुटिपूर्ण नाम अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक 5 में निम्नानुसार अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगरपालिक निगम, इन्दौर	श्री गब्बर उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह रघुवंशी, 15/5 स्नेहलतागंज, इन्दौर.	श्री वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह रघुवंशी, 15/3 स्नेहलतागंज, इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 995-694-2018-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मैसर्स केजेएस सीमेन्ट, मैहर जिला सतना मध्यप्रदेश के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 4891 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4891 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 15 जुलाई 2018 से 14 जनवरी 2019 तक की छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, जिला सतना मध्यप्रदेश को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षर निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्र. एफ-11-05-(10-1) 2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (ई) (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कमल सिंह दरबार, निवासी ग्राम तिलाड़िया, थाना नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. के संचालक मंडल में सदस्य मनोनीत करता है.

2. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
के. आर. चौकीकर, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. एफ-11-13-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-13-2016-तीस, दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	रीवा	रायपुर कलचुरियान	पटना	शिवमंदिर (श्री शंकर भगवान का मडफा मंदिर).	527 526 523 760	0.11/0045 हे. (पूरा) 30 मी. 30 मी. 33 मी.	म. प्र. शासन	हां.

क्र. एफ-11-18-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-18-2016-तीस, दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	अस्तौन खास.	गढ़ी अस्तौन (अस्तौन किला).	2690 2691	0.502 0.498	शासकीय	-

क्र. एफ-11-22-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-22-2016-तीस, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	छतरपुर	महेवा	बादल महल	3	0.559	म. प्र. शासन, वन	नहीं.

क्र. एफ-11-28-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-28-2016-तीस, दिनांक 4 अगस्त 2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	गुना	चाँचोड़ा	चम्पावती किला.	प्राचीन किला.	174	1.317	शासकीय	नहीं.
						आबादी किला नजूल 1.317		

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्र. एफ-11-03-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-03-2018-तीस, दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा हृदय शाह का मकबरा, पन्ना.	ख. न. 3175	0.210	शासन	नहीं	175×131
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा हृदय शाह की रानी का मकबरा, पन्ना.	ख. न. 3175	0.102	शासन	नहीं	121×92

क्र. एफ-11-04-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-04-2018-तीस, दिनांक 8 मार्च 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	PWD स्टोर के पास पन्ना.	महाराजा किशोर सिंह का मकबरा, पन्ना.	ख. न. 3234/1	0.107	शासन	नहीं	130×90
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा किशोर सिंह की रानी का मकबरा, पन्ना.	ख. न. 3234/1	0.078	शासन	नहीं	94×90

क्र. एफ-11-23-2016-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-23-2016-तीस, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	छतरपुर	महेबा	शीतल गढ़ी	2548	0.073	म. प्र. शासन	नहीं

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. एफ-11-05-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-05-2018-तीस, दिनांक 20 अप्रैल 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	सर्किट हाउस के पास मकबरा क्रमांक-01 पन्ना.	ख. न. 3175	0.045	शासन	नहीं	70×70
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	सर्किट हाउस के पास मकबरा क्रमांक-02 पन्ना.	ख. न. 3175	0.026	शासन	नहीं	70×40

क्र. एफ-11-15-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-15-2015-तीस, दिनांक 17 अगस्त 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	उमरिया	नौरोजाबाद	ग्राम-सिंहपुर	प्राचीनगढ़ी	113	0.654 का	शासकीय	नहीं है
		प.ह.नं. सिंहपुर नं. 21.				अंश रकबा—	राजस्व विभाग	
						0.222	म. प्र. शासन.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमेरेखा ढोले, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

क्र. एफ 03-02-2018-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उप जेल, त्योंथर जिला रीवा एवं उप जेल, बड़नगर जिला उज्जैन को इस आदेश के जारी होने की तारीख से उप जेल, त्योंथर एवं उप जेल, बड़नगर के रूप में घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2018

क्र. 3301-18-RTO.—इन्दौर-खण्डवा मार्ग पर माह अगस्त, 2018 में धार्मिक काबड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 31 जुलाई 2018 में यह निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग पर संचालित हेवी गुड्स वाहनों जो इन्दौर से खण्डवा मार्ग पर संचालित होंगे जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर तेजाजीनगर से डायवर्ट रूट राऊ-महू मार्ग से संचालित होंगे।

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—

- (O) दुग्ध वाहन
- नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
 - पुलिस वाहन
 - फायर ब्रिगेड
 - पानी टैंकर
 - आर्मी के वाहन
 - विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
 - एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
 - कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन.
 - यात्री बसें

यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा.

निशांत वरवडे, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. 5771-एस.-डब्ल्यू-2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 खण्ड एस एवं मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-10-2015-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

(दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया. (1)	ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (5)
	नाम	बंदोबस्त नंबर	पटवारी हल्का नंबर	
पनागर (तहसील पनागर, जिला जबलपुर).	सुन्दरपुर	451	0036	खमरिया (तहसील जबलपुर जिला जबलपुर).

No. 5771-S.W.-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order F-2(K)-10-2015-B-3-2 Bhopal, date 23rd November 2016 in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, the State Government, here with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

- (1) Excludes from Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and 2 includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police station mentioned in column (3) of the said table : —

TABLE

Name of the Police Station (with Tahsil and the Distt.) from which excluded	Name of Village local areas Name of Village Settlement No. local areas	Bandobast No.	P. C. No.	Name of Police Station (with Tahsil and the District) from which included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panagar (Tahsil Panagar Distt. Jabalpur)	Sundarpur	451	0036	Khamaria (Tahsil Jabalpur Distt. Jabalpur).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ 8-2-रा.स.-यू.ए.-3-2014.—यतः, कुलाधिपति महोदय के आदेश क्रमांक एफ-8-1-2014-रा.स.-यू.ए.-3-377, दिनांक 6 अप्रैल 2017 के द्वारा व्यावसायिक प्रबन्धन विषय के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डल गठित करने के लिये आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया है. उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के द्वारा बी.बी.ए. (टूरिज्म) एवं बी.बी.ए. (हॉस्पिटैलिटी) के पाठ्यक्रम अनुशंसित कर माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गये हैं.

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34-क(8)(a) सहपठित धारा 34-क (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
भरत. पी. माहेश्वरी, राज्यपाल के विधि अधिकारी.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ-15-10-2018-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों से कॉलम (3) में वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा-टोला) के लिए उसके कॉलम (4) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा.

अनुसूची

तहसील—सैलाना, जिला-रतलाम

स. क्र. (1)	पटवारी हल्का क्रमांक सहित मूल ग्रामों का नाम (2)	नवीन राजस्व ग्रामों का नाम (मजरा-टोला) (3)	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (4)
1	मूल ग्राम—कोटडा पटवारी हल्का नम्बर-25	महुडापाडा	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला रतलाम.
2	मूल ग्राम—सांसर पटवारी हल्का नम्बर-32	1. केदारगढ़, 2. देवरूण्डा, 3. दोलतपुरा, 4. नयाटापरा.	
3	मूल ग्राम—हरसोरा पटवारी हल्का नम्बर-25	भसौरा	
4	मूल ग्राम—करिया पटवारी हल्का नम्बर-24	1. नयाखेडा, 2. डोकरिया कुण्ड	
5	मूल ग्राम—बोरदा पटवारी हल्का नम्बर-08	राईखोरा	
6	मूल ग्राम—कपासिया पटवारी हल्का नम्बर-30	लक्ष्मणगढ़	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ-15-10-2018-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-08-2018-सात-शा-6, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 10 August 2018

No. F-15-10-2018-VII-6-927.—In exercise of the power conferred by sub section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages (Majra-Tola) mentioned in column (3) from original revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (4) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil : Sallana, District : Ratlam

Serial No.	Name of the Original Villages with P.H. No.	Name of the new revenue Villages (Majra -Tola)	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kotda Patwari Halka No. 25	Mahudapada	Superintendent of Land Records, District Ratlam.
2	Sansar Patwari Halka No. 32	1. Kedargarh, 2. Devrunda, 3. Doulatpura, 4. Naya Tapra.	
3	Harsora Patwari Halka No.25	Bhaisora	
4	Kariya Patwari Halka No.24	1. Nayakheda, 2. Dokariya Kund	
5	Borda Patwari Halka No. 08	Raikhora	
6	Kapasiya Patwari Halka No. 30	Laxmangarh	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-33/2018/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना 7170-4035-06-दस-3 दिनांक. 29.12.2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 53' 34.844" से 21° 53' 54.978" उत्तर अक्षांश तथा 75° 39' 47.790" से 75° 40' 14.315" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- खरगोन
तहसील:- गोगावा

वनमण्डल:-खरगोन
वन परिक्षेत्र :-खरगोन

क्र	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र./संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डोंगरगांव	पुराना-36 नया-11/36 गोगावा	डोंगरगांव/ डोंगरगांव	6/1 (P-1197)	निस्तार चारागाह	डी-886-4148- दस-3-2003 दि. 24.12.03 प्रकाशन दि. 16.01.2004	25.00	उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 17 तक कुन्दा नदी की प्राकृतिक सीमा। पूर्व- मुनारा क्र. 17 से 19 तक खसरा क्र. 6/1 की शेष भूमि। दक्षिण- मुनारा क्र. 19 से 26 तक, गाडी रास्ता एवं खसरा क्रमांक 6/3 की सीमा। पश्चिम- मुनारा क्र. 26 से 32 एवं 1 तक खसरा क्र. 6/2, एवं 6/1 की शेष भूमि।
		योग:-					25.00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-33-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-33-2018-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th August 2018

No.-F-25-33/2018/10-3 :: Where as, by this department Notification No. 7170-4035-06-X-3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 53' 34.844" to 21° 53' 54.978" North Latitude and 75° 39' 47.790" to 75° 40' 14.315" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khargone
Tahsil- Gogawa

Forest Division- Khargone (T)
Forest Rang- Khargone

S. N o.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village /PF Block	Khasra No./PF Compartm ent	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Doangar goan	Old-36 New-11/36 Gogawa	Doangar goan/ Doangar goan	6/1 (P-1197)	Nistar charagah	D-886-4148-X-3-2003-Date 24.12.03 Published Date 16.01.04	25.00	North- Pillar no. 1 to 17 natural boundry of River Kunda East- Pillar no. 17 to 19 remaining part of khasra no. 6/1. South- pillar no. 19 to 26 Cart Track and boundry of kh. no. 6/3. West- pillar no. 26 to 32 and 1 Khasra no. 6/2 and remaining part of Khasra no. 6/1.
	Total (Block Area)						25.00	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-65/2017/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-354-154-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 04 फरवरी 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटायें जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 52' 22" से 21° 53' 30.5" उत्तर अक्षांश तथा 76° 38' 6.8" से 76° 57' 08.3" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: पश्चिम कालीभील रोशनी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/संरक्षित वनकक्षा क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड बाराकुण्ड	नया- 64 पुराना- 57 रोशनी	बाराकुण्ड	158 (पी 707) 172 395	घास	दिनांक 09 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-880-3999-दस-3-2003 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2003	1.000 2.000 0.300	उत्तर- मुनारा क. 1 से 39 तक, मुनारा क. 1 से 21 एवं 37 से 39 तक खसरा क. 157, 170, 171, 175, 173, 373, 398, 397 एवं 404 एवं मुनारा

२०/१

					क. 21 से 37 तक नाला की प्राकृतिक सीमा.	6.850
					पूर्व मुनारा क. 39 से 48 खसरा क. 407, 409,	3.550
					423 एवं 426 की सीमा.	1.330
					दक्षिण- मुनारा क. 48 से 52 ग्राम मोहालखारी की सीमा.	2.100
					पश्चिम- मुनारा क. 52 से 53 एवं 1 ग्राम रोशनी की सीमा	34.260
						7.250
						58.640
				योग		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-65-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-65-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-65/2017/10-3 ::Where as, by this department Notification No. D-354-154-X-3-2006, Bhopal dated 04.02.2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhoopal dated 17 February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 52' 22" to 21° 53' 30.5" North Latitude and 76° 38' 6.8" to 76° 57' 08.3" East Longitude.

SCHEDULE

Forest Division- Khandwa (T)
Forest Range- West Kaliphit Roshni

District- Khandwa

Tahsil- Harsud

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Barakund	New-64 Old-57 Roshani	Barakund	158 (P 707) 172	Grass Grass	Published 09 January 2004 Notification No. D- 880-3999-X-3-2003 dated 24.12.2003	1.000 2.000	North- Pillar No. 1 to 39, (Pillar No. 1 to 21 and Pillar No. 37 to 39 Boundary of Khasra No. 157, 170, 171, 175, 173, 373, 398, 397 and

[Signature]

395	Grass	0.300	404 and Pillar No. 21 to 37 Natural Boundary of Nala)
396	Grass	6.850	
401	Grass	3.550	
402	Grass	1.330	East- Pillar No. 39 to 48 Boundary of Khasra No 407, 409, 423 and 426.
408	Grass	2.100	
424	Grass	34.260	South- Pillar No. 48 to 52 Boundary of village Mohalkhari
425	Grass	7.250	
	Total	58.640	West- Pillar No. 52 to 53 and 1 Boundary of village Roshni

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-66/2017/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1284-776-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।
और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटायें जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22°00'21.27" से 22°00'37.76" उत्तर अक्षांश तथा 76°44'49.5" से 76°45'14.47" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
(सामान्य)
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा

वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक / संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड तोरनिया (अ)	पुराना-42 नया-34 सडियापानी	तोरनिया	112 (पी 698)	घास	दिनांक 23 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-106-152 दस-3-2004 भोपाल दिनांक 15 जनवरी 2004	3.500	उत्तर- मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 110 की सीमा. पूर्व दक्षिण- मुनारा क. 2 से 3 तक रास्ता. पश्चिम- मुनारा क. 3 से 4 एवं 1 तक, ग्राम डोटखेड़ा की सीमा.
02	वनखण्ड तोरनिया (ब)	पुराना-42 नया-34 सडियापानी	तोरनिया	114 (पी 698)	घास		23.500	उत्तर- मुनारा क. 1 से 2 तक, रास्ता पूर्व- मुनारा क. 2 से 7 तक, खसरा क. 107, 161, 160, 159 एवं 154 की सीमा. दक्षिण- मुनारा क. 7 से 12 तक, खसरा क. 116, 117, 118/1 एवं 120 की सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 12 एवं 1, रास्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-66-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-66-2017-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th August 2018

No.-F-25-66/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1284-776-X-3-2006, Bhopal dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 22°00'21.27" to 22°00'37.76" North Latitude and 76° 44'49.5" to 76° 45'14.47" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa
Tahsil- Harsud

Forest Division- Khandwa (T)
Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwar i Halka No./ Forest Beat	Village/P F Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Torniya (A)	Old-42 New-34 Sadiy apani	Torniya	112 (P 698)	Grass	Published 23 January 2004 Notification No. D-106-152-X-3-2004 dated 15.01.2004	3.500	North- Pillar No. 1 to 2, boundary of Khasra No. 110 East South- Pillar No. 2 to 3, road. West- Pillar No. 3 to 4 and 1, boundary of village Dotkheda.
02	Forest Block Torniya (B)	Old-42 New-34 Sadiy apani	Torniya	114 (P 698)	Grass		23.500	North- Pillar No. 1 to 2, road. East- Pillar No. 2 to 7, boundaries of Khasra Nos. 107,161,160,159 and 154. South- Pillar No. 7 to 12, boundaries of Khasra Nos. 116, 117, 118/1 and 120. West- Pillar No. 12 and 1, road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-25-67/2018/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1284-776-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 49' 0.1" से 21° 50' 18" उत्तर अक्षांश तथा 76° 38' 6.8" से 76° 39' 57" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड (अ) मोहन्याभाम	पुराना-69 नया-15 काला आम	मोहन्याभाम	62 (पी 675)	घास	दिनांक 23 जनवरी 2004 में प्रकाशित	0.140	उत्तर- मुनारा क. 1 से 9 तक, खसरा क. 72,71,14 एवं 15 की सीमा
				63	घास		1.220	पूर्व- मुनारा क. 9 से 13 तक रास्ता
				64	घास	अधिसूचना क्रमांक डी-106-152-दस-3-2004 भोपाल दिनांक 15 जनवरी 2004	0.430	दक्षिण-मुनारा क. 13 से 20 तक, रास्ता
				65	घास		0.540	पश्चिम- मुनारा क. 20 से 22 एवं 1, खसरा क. 74
				66	घास		0.670	की सीमा
				67	घास		0.810	
				68	घास		0.270	
				69	घास		5.720	
				70	घास		0.640	
				योग			10.440	
02	वनखण्ड (ब) मोहन्याभाम	पुराना-69 नया-15 काला आम	मोहन्याभाम	54 (पी 675)	घास		0.410	उत्तर- मुनारा क. 1 से 45 तक, मुनारा क. 1 से 12 तक रास्ता, मुनारा क. 12 से 45 तक, खसरा क. 53, 131,129,122,123,128,126,155,15 3,152,353,351,350 एवं 349 की सीमा
				55	घास		6.200	पूर्व- मुनारा क. 45 से 47 तक

						रास्ता
			56	घास	0.810	दक्षिण- मुनारा क. 47 से 72 तक, खसरा क. 336,341,346,358,147,142,140,149, 138,117,118 एवं 112 की सीमा
			57	घास	0.310	पश्चिम- मुनारा क. 72 से 76 एवं 1, खसरा क. 109 एवं 106 की सीमा.
			58	घास	0.450	
			59	घास	1.610	
			60	घास	0.140	
			107	घास	0.450	
			108	घास	0.200	
			119	घास	1.380	
			120	घास	1.730	
			121	घास	0.460	
			124	घास	1.870	
			125	घास	1.020	
			130	घास	0.670	
			132	घास	7.470	
			133	घास	0.840	
			134	घास	1.090	
			135	घास	1.450	
			136	घास	1.270	
			137	घास	7.340	
			148	घास	2.380	
			149	घास	1.510	
			150	घास	0.180	
			151	घास	0.650	
			335	घास	1.040	
			347	घास	6.280	
			348	घास	0.680	
			351	घास	1.860	
			354	घास	1.230	
			355	घास	0.670	
			356	घास	2.360	
			357	घास	0.770	
			योग		56.780	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-67-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-67-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-67/2017/10-3 ::Where as, by this department Notification No. D-1284-776-X-3-2006, Bhopal dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°49'0.1" to 21°50'18" North Latitude and 76°38'6.8" to 76°39'57" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa

Forest Division- Khandwa (T)

Tahsil- Harsud

Forest Range- Singaji

N o.	RF Block	Patwar i Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compa riment	If Reven ue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Mohaniya Bham-A	Old-69 New-15 Kala Aam	Mohaniya Bham	62 (P 675)	Grass	Published 23 January 2004	0.140	North- Pillar No. 1 to 9, boundaries of Khasra Nos. 72, 71, 14 and 15.
				63	Grass	Notification No. D-106- 152-X-3-2004 dated 15.01.2004	1.220	East- Pillar No. 9 to 13, road
				64	Grass		0.430	South- Pillar No. 13 to 20, road
				65	Grass		0.540	West- Pillar No. 20 to 22 and 1, boundary of Khasra No. 74
				66	Grass		0.670	
				67	Grass		0.810	
				68	Grass		0.270	
				69	Grass		5.720	
				70	Grass		0.640	
				Total			10.440	
02	Forest Block Mohaniya Bham-B	Old-69 New-15 Kala Aam	Mohaniya Bham	54 (P 675)	Grass		0.410	North- Pillar No. 1 to 45 (Pillar No. 1 to 12 road and Pillar No. 12 to 45 boundaries of Khasra Nos. 53, 131,129,122,123,128,126,15 5,153,152,353,351,350 and 349)
				55	Grass		6.200	East- Pillar No. 45 to 47, road.

			56	Grass	0.810	South- Pillar No. 47 to 72, boundaries of Khasra Nos. 336,341,346,358,147,142,140,149, 138,117,118 and 112
			57	Grass	0.310	West- Pillar No. 72 to 76 and 1, boundaries of Khasra Nos. 109 and 106
			58	Grass	0.450	
			59	Grass	1.610	
			60	Grass	0.140	
			107	Grass	0.450	
			108	Grass	0.200	
			119	Grass	1.380	
			120	Grass	1.730	
			121	Grass	0.460	
			124	Grass	1.870	
			125	Grass	1.020	
			130	Grass	0.670	
			132	Grass	7.470	
			133	Grass	0.840	
			134	Grass	1.090	
			135	Grass	1.450	
			136	Grass	1.270	
			137	Grass	7.340	
			148	Grass	2.380	
			149	Grass	1.510	
			150	Grass	0.180	
			151	Grass	0.650	
			335	Grass	1.040	
			347	Grass	6.280	
			348	Grass	0.680	
			351	Grass	1.860	
			354	Grass	1.230	
			355	Grass	0.670	
			356	Grass	2.360	
			357	Grass	0.770	
			Total		56.780	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-68/2017/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1284-776-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटायें जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 52' 09.22" से 21° 52' 35" उत्तर अक्षांश तथा 76° 49' 30.30" से 76° 50' 22" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हत्का क्रमांक / वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक / संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड डाबिया(अ)	पुराना-60 नया-50 डाबिया	डाबिया	597 (पी 685) 598 योग	पहाड चट्टान पहाड चट्टान	दिनांक 23 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-106-152 दस-3-2004 भोपाल दिनांक 15 जनवरी 2004	13.640 1.650 15.290	उत्तर- मुनारा क. 1 से 8 तक, खसरा क. 571, 570, 599 एवं 601 की सीमा. पूर्व- मुनारा क. 8 से 11 तक, खसरा क. 602 की सीमा. दक्षिण- मुनारा क. 11 से 16 तक, खसरा क. 588 की सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 16, 17 एवं 1, नाला की प्राकृतिक सीमा.
02	वनखण्ड डाबिया(ब)	पुराना-60 नया-50 डाबिया	डाबिया	622 (पी 684) 627 629	पहाड पहाड चट्टान पहाड चट्टान		2.790 3.460 3.800	उत्तर- मुनारा क. 1 से 19 तक, खसरा क. 602, 626, 624 एवं 621 की सीमा पूर्व- मुनारा क. 19 से 23 तक, ग्राम लगोटी की सीमा दक्षिण- मुनारा क. 23 से 42 तक, मुनारा क. 23 से 33 तक खसरा क.

				630	पहाड चट्टान	3.180	631, 632, 634, 635 की सीमा एवं मुनारा क. 33 से 42 तक नाला की प्राकृतिक सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 42, 43 एवं 1, खसरा क. 602 की सीमा.
				638	छोटे झाड के जंगल	7.970	
				596	पहाड चट्टान	11.460	
				योग		32.660	
03	वनखण्ड डाबिया(स)	पुराना-60 नया-50 डाबिया	डाबिया	628 (पी 686)	छोटे झाड के जंगल	1.130	उत्तर- मुनारा क. 1 से 6 तक, खसरा क. 637 की सीमा. पूर्व- मुनारा क. 6 से 8 तक, ग्राम लंगोटी की सीमा दक्षिण- मुनारा क. 8 से 9 तक, नाला की प्राकृतिक सीमा पश्चिम- मुनारा क. 9 से 14 एवं 1, खसरा क. 639 की सीमा
04	वनखण्ड डाबिया(द)	पुराना-60 नया-50 डाबिया	डाबिया	591 (पी 686)	छोटे झाड के जंगल	3.170	उत्तर- मुनारा क. 1 से 6 तक, नाला की प्राकृतिक सीमा. पूर्व- मुनारा क. 6 से 7 तक, ग्राम लंगोटी की सीमा दक्षिण- मुनारा क. 7 से 10 तक, आरक्षित वन कक्ष क. 265 की सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 10 से 12 एवं 1, आरक्षित वन कक्ष क. 265 एवं खसरा क. 592 एवं 593 की सीमा.
				641	छोटे झाड के जंगल	2.940	
				योग		6.110	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

एफ-25-68-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-68-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-68/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1284-776-X-3-2006 dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 52' 09.22" to 21° 52' 35" North Latitude and 76° 49' 30.30" to 76° 50' 22" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa

Forest Division- Khandwa (T)

Tahsil- Harsud

Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Dabiya-A	Old-60 New-50 Dabiya	Dabiya	597 (P 685) 598 Total	Rock Hill Rock Hill	Published 23 rd January 2004 Notification No. D-106-152-X-3-2004 dated 15.01.2004	13.640 1.650 15.290	North- Pillar No. 1 to 8, boundaries of Khasra Nos. 571,570,599 and 601 East- Pillar No 8 to 11 boundary of khasra No. 602. South- Pillar No. 11 to 16, boundary of Khasra No. 588 West- Pillar No. 16, 17 and 1, Natural boundary of Nala.
02	Forest Block Dabiya-B	Old-60 New-50 Dabiya	Dabiya	622 (P 684) 627 629 630 638 596 Total	Hill Rock Hill Rock Hill Rock Hill Small tree of forest Rock Hill		2.790 3.460 3.800 3.180 7.970 11.460 32.660	North- Pillar No. 1 to 19, boundaries of Khasra Nos. 602,626,624 and 621. East- Pillar No. 19 to 13, boundary of village Langoti South- Pillar No. 23 to 42 (Pillar No. 23 to 33 boundaries of Khasra Nos. 631,632,634 and 635 and pillar No. 33 to 42 Natural boundary of Nala.) West- Pillar No. 42,43 and 1, boundary of Khasra No. 602.

03	Forest Block Dabiya-C	Old-60 New-50 Dabiya	Dabiya	628 (P 686)	Small tree of forest		1.130	North- Pillar No. 1 to 6, boundary of Khasra No. 637. East- Pillar No. 6 to 8, boundary of village Langoti South- Pillar No. 8 to 9, Natural boundary of Nala. West- Pillar No. 9 to 14 and 1, boundary of Khasra No. 639
04	Forest Block Dabiya-D	Old-60 New-50 Dabiya	Dabiya	591 (P 686) 641 Total	Small tree of forest Small tree of forest Hill		3.170 2.940 6.110	North-Pillar No. 1 to 6 Natural boundary of Nala. East- Pillar No. 6 to 7, boundary of village Langoti South- Pillar No. 7 to 10, boundary of reserve forest compartment No. 265 West- Pillar No. 10 to 12 and 1, boundary of reserve forest compartment No. 265 and boundaries of Khasra No. 592 and 593.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-69/2017/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1285-775-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 59' 14.8" से 21° 59' 33.6" उत्तर अक्षांश तथा 76° 41' 26" से 76° 41' 42.8" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक / वन परिसर	ग्राम / संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक / संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड देवल्दी	47 सडियापानी	देवल्दी	143 (पी 692) 144 145 146 147 148 149 योग	घास घास घास घास आबादी आबादी आबादी	दिनांक 09 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-880-3999 दस-3-2003 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2003	0.960 7.210 0.100 7.420 6.400 0.150 0.510 22.750	उत्तर-मुनारा क. 01 से 5 तक, ग्राम बोरी बांदरी की सीमा पूर्व - मुनारा क. 5 से 6 नाला की प्राकृतिक सीमा दक्षिण- मुनारा क. 6 से 7 तक रास्ता पश्चिम- मुनारा क. 7 से 11 तक एवं 1 तक, खसरा क. 55 की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-69-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-69-2017-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th August 2018

No.-25-69/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1285-775-X-3-2006 dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 59' 14.8" to 21° 59' 33.6" North Latitude and 76° 41' 26" to 76° 41' 42.8" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa

Forest Division- Khandwa (T)

Tahsil- Harsud

Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Devaldi	47 Sadiyapani	Devaldi	143 (P 692)	Grass	Published 09 January 2004	0.960	North- Pillar No. 1 to 5, boundary of village Boribandri
				144	Grass	Notification No. D-880-3999-X-3-2003 dated 24.12.2003	7.210	
				145	Grass		0.100	
				146	Grass		7.420	East- Pillar No. 5 to 6, Natural boundary of Nala.
				147	Population		6.400	
				148	Population		0.150	South- Pillar No. 6 to 7, road.
				149	Population		0.510	
				Total			22.750	West- Pillar No. 7 to 11 and 1, boundary of Khasra No. 55.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-70/2017/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1285-775-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 54' 5.6" से 21° 54' 24.2" उत्तर अक्षांश तथा 76° 48' 15.6" से 76° 48' 43.3" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिगाजी

क.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड पाडल्या	पुराना-52 नया-51 डाबिया	पाडल्या	283 (पी 688) 285 286 287 288 289 योग	घास पानी पानी पानी पानी घास	दिनांक 09 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-880-3999 दस-3-2003 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2003	27.970 0.540 0.150 0.310 0.660 0.640 30.270	उत्तर-मुनारा क. 1 से 10, खसरा क. 282, 281 एवं 280 की सीमा पूर्व- मुनारा क. 10 से 17 रास्ता दक्षिण- मुनारा क. 17 से 31, मुनारा क. 17 से 18, खसरा क. 290 की सीमा एवं मुनारा क. 18 से 31 नाला की प्राकृतिक सीमा पश्चिम- मुनारा क. 31 से 41 एवं 1, मुनारा क. 31 से 39, खसरा क. 284 की सीमा एवं मुनारा क. 39 से 41 एवं 1 ग्राम मेढ़ापानी की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-70-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-70-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-70/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1285-775-X-3-2006 dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 54' 5.6" to 21° 54' 24.2" North Latitude and 76° 48' 15.6" to 76° 48' 43.3" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa
Tahsil- Harsud

Forest Division- Khandwa (T)
Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Haika No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Padlya	Old-52 New-51 Dabiya	Padlya	283 (P 688)	Grass	Published 09 January 2004	27.970	North- Pillar No. 1 to 10, boundary of Khasra Nos. 282,281 and 280. East- Pillar No. 10 to 17, road. South- Pillar No. 17 to 31, Pillar No. 17 to 18 boundary of Khasra No.290. And Pillar No. 18 to 31, Natural boundary of Nala. West- Pillar No. 31 to 41 and 1, Pillar No. 31 to 39 boundary of khasra no. 284. and Pillar No. 39 to 41 and 1 boundary of village Mendapani.
				285	Water	Notification No. D-880- 3999-X-3- 2003 dated 24.12.2003	0.540	
				286	Water		0.150	
				287	Water		0.310	
				288	Water		0.660	
				289	Grass		0.640	
				Total			30.270	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-71/2017/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1285-775-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।
और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 59' 28" से 21° 59' 40" उत्तर अक्षांश तथा 76° 45' 16" से 76° 45' 34" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड रामपुरी (अ)	पुराना-31 नया-35 खोकरिया	रामपुरी	15 (पी 697)	छोटे झाड़ का जंगल घास	दिनांक 09 जनवरी 2004 में प्रकाशित	4.850	उत्तर-मुनारा क. 1 से 14 खसरा क. 12, 14, 16, 53 एवं 52 की सीमा
				54	छोटे झाड़ का जंगल घास	अधिसूचना क्रमांक डी-880-3999 दस-3-2003 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2003	3.150	पूर्व- मुनारा क. 14 से 17 तक नाला की प्राकृतिक सीमा
				55	नाला पानी के लिए		1.600	दक्षिण- मुनारा क. 17 से 32, मुनारा क. 17 से 18 एवं 26 से 27 नाला की प्राकृतिक सीमा तथा मुनारा क. 18 से 26 एवं 27 से 32 तक खसरा क. 63, 62, 61 एवं 60 की सीमा
				56	छोटे झाड़ के जंगल		7.120	पश्चिम- मुनारा 32 से 35 एवं 1 खसरा क. 57 एवं
				64	छोटे झाड़ के जंगल		2.570	11 की सीमा
				योग			19.290	
02	वनखण्ड रामपुरी (ब)	पुराना-31 नया-35 खोकरिया	रामपुरी	25 (पी 697)	छोटे झाड़ के जंगल		3.880	उत्तर- मुनारा क. 1 से 6 तक नाला की प्राकृतिक सीमा पूर्व- मुनारा क. 6 से 9 तक रास्ता

					योग		3.880	दक्षिण- मुनारा क 9 से 11 तक रास्ता पश्चिम- मुनारा क. 11 से 12 एवं 1 तक नाला की प्राकृतिक सीमा
03	वनखण्ड रामपुरी (स)	पुराना-31 नया-35 खोकरिया	रामपुरी	27 (पी 697)	छोटे झाड़ के जंगल		3.500	उत्तर- मुनारा क. 1 से 6 तक रास्ता
				42	नाला पानी के लिए		0.290	पूर्व- मुनारा क. 6 से 18 मुनारा क. 6 से 9 तक रास्ता मुनारा क. 9 से 11 नाला की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क 11 से 18 खसरा क. 86,83,70 एवं 71 की सीमा
				50	छोटे झाड़ के जंगल घास		9.070	दक्षिण- मुनारा क. 18 से 23 तक घोड़ापछाड़ नदी की प्राकृतिक सीमा
				65	छोटे झाड़ के जंगल घास		10.590	पश्चिम-मुनारा क. 23 से 32 एवं 1, मुनारा क. 23
				67	नाला पानी के लिए		0.110	से 24 एवं मुनारा क.29 से 32 एवं नाला की
				68	नाला पानी के लिए		1.750	प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क. 24 से 29 तक खसरा क.
				69	छोटे झाड़ के जंगल घास		0.590	66 की सीमा
				योग			25.900	
				कुल योग			49.070	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

एफ-25-71-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-71-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.F-25-71/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1285-775-X-3-2006, Bhopal dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 59' 28" to 21° 59' 40" North Latitude and 76° 45' 16" to 76° 45' 34" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa

Forest Division- Khandwa (T)

Tahsil- Harsud

Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Rampuri-(A)	Old-31 New-35	Rampuri	15	Small tree of forest, Grass	Published 09 January 2004	4.850	North- Pillar No. 1 to 14, Boundaries of Khasra Nos. 12, 14, 16, 53 and 52.
				54	Small tree of forest, Grass	Notification No. D-880-3999-X-3-2003 dated 24.12.2003	3.150	East- Pillar No. 14 to 17, Natural boundary of Nala
				55	Nala for water		1.600	South- Pillar No. 17 to 32, Pillar No. 17 to 18 and 26 to 27 Natural boundary of Nala and Pillar No. 18 to 26 and 27 to 32 boundaries of khasra No. 63, 62, 61 and 60.
				56	Small tree of forest, Grass		7.120	West- Pillar No. 32 to 35 and 1 boundaries of Khasra No. 57 and 11.
				64	Small tree of forest, Grass		2.570	
				Total			19.290	

02	Forest Block Rampuri-(B)	Old-31 New-35	Rampuri	25 (P 697)	Small tree of forest, Grass		3.880	North- Pillar No. 1 to 6 Natural boundary of Nala. East- Pillar No. 6 to 9, road. South- Pillar No.9 to 11 , road. West- Pillar No. 11 to 12 and 1 Natural boundary of Nala.
					Total		3.880	
03	Forest Block Rampuri-(C)	Old-31 New-35	Rampuri	27 (P 697)	Small tree of forest, Grass		3.500	North- Pillar No. 1 to 6, road.
				42	Nala for water		0.290	East- Pillar No. 6 to 18, Pillar No. 6 to 9, road. Pillar No. 9 to 11 Natural boundary of Nala. and Pillar No.11 to 18 boundaries of Khasra Nos. 86, 83, 70 and 71.
				50	Small tree of forest, Grass		9.070	South- Pillar No. 18 to 23 Natural Boundary of Ghodapachad river.
				65	Small tree of forest, Grass		10.590	West- Pillar No. 23 to 32 and 1, Pillar No.23 to 24 Natural boundary of Nala, and Pillar No.29 to 32 Natural boundary of Nala and Pillar No. 24 to 29 Boundary of Khasra No. 66.
				67	Nala for water		0.110	
				68	Nala for water		1.750	
				69	Small tree of forest, Grass		0.590	
				Total			25.900	
				Grand Total			49.070	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-73/2017/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1285-775 दस-3-2006 भोपाल दिनांक 28 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 58' 50" से 21° 59' 01" उत्तर अक्षांश तथा 76° 52' 10" से 76° 53' 33" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड दमदमा	पुराना-39 नया-30 खोकरिया	दमदमा	302 (पी 703)	पहाड चट्टान	दिनांक 09 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-880-3999 दस-3-2003 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2003	41.480	उत्तर-मुनारा क. 01 से 10 खसरा क. 275, 274, 272, 271, 270, एवं 266 की सीमा पूर्व- मुनारा क. 10 से 13 खसरा क. 305 एवं 303 की सीमा दक्षिण- मुनारा क. 13 से 18 मुनारा क. 13 से 14 ग्राम टिमरनी की सीमा एवं मुनारा क. 14 से 18 तक ग्राम खमलाय की सीमा पश्चिम- मुनारा क. 18 से 20 एवं 1 रास्ता
					कुल योग		41.480	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

एफ-25-73-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-73-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-73/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1285-775-X-3-2006 Bhopal dated 28 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 28 April 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 58' 50" to 21° 59' 01" North Latitude and 76° 52' 10" to 76° 53' 33" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa
Tahsil- Harsud

Forest Division- Khandwa (T)
Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Damdama	Old - 39 New - 30 Khokariya	Damdama	302 (P 703)	Rock Hill	Published 09 January 2004 Notification No. D-880- 3999-X-3- 2003 dated 24.12.2003	41.480	North- Pillar No. 1 to 10, Boundaries of Khasra Nos. 275, 274, 272, 271, 270 and 266. East- Pillar No. 10 to 13, Boundaries of Khasra No. 305 and 303. South- Pillar No. 13 to 18 (Pillar No. 13 to 14, boundary of Village Timarni and Pillar No. 14 to 18, boundary of Village Khamlay. West- Pillar No. 18 to 20 and 1, road
					Total		41.480	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-83/2017/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 12 मई 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1312-774-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 13 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21°54' 24.43" से 21°54' 61.9" उत्तर अक्षांश तथा 76°45' 43.8" से 76°46' 0.86" पूर्व देशांत के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक / वन परिसर	ग्राम / संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक / संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड खोखरिया (अ)	पुराना-51 नया-48 खोखरिया	खोखरिया	418 419 420 (पी 689)	छोटे झाड का जंगल छोटे झाड का जंगल छोटे झाड का जंगल	दिनांक 26 मार्च 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-569-686-दस-3-2004 भोपाल दिनांक 09 मार्च 2004	4.150 2.000 2.330	उत्तर- मुनारा क. 1 से 6 तक, मुनारा क. 1 से 2 तक खसरा क. 417 की सीमा एवं मुनारा क. 2 से 6 तक, खसरा क. 419 एवं 420 का शेष भाग. पूर्व- मुनारा क. 6 से 8 तक रास्ता, दक्षिण- मुनारा क. 8 से 13 तक, राजस्व ग्राम मातापुर की सीमा पश्चिम- मुनारा क. 13 से 14 एवं 1 तक, राजस्व ग्राम फिफरी सरकार की सीमा.
				योग			8.480	

02	वनखण्ड खोखरिया (ब)	पुराना-51 नया-48 खोखरिया	खोखरिया	421 (पी 689)	छोटे झाड़ का जंगल	5.650	उत्तर- मुनारा क. 1 से 3, तक खसरा क. 404 की सीमा पूर्व- मुनारा क. 3 से 5 तक, रास्ता दक्षिण- मुनारा क. 5 से 6 तक, राजस्व ग्राम मेढापानी की सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 6 से 8 एवं 1 तक, रास्ता.
				योग		5.650	
				कुल योग		14.130	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-83-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-83-2017-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th August 2018

**Government of Madhya Pradesh
Forest Department
Notification**

Bhopal Dated 4-8-2018

No.-F-25-83/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1312-774-X-3-2006 Bhopal dated 31 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 12 May 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°54' 24.43" to 21°54' 61.9" North Latitude and 76°45' 43.8" to 76°46' 0.86" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa
Tahsil- Harsud

Forest Division- Khandwa (T)
Forest Range- Singaji

No	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Compartment	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Khokhariya (A)	Old-51 New-48 Khokhariya	Khokhariya	418	Small tree of forest	Published 26 March 2004 Notification No. D-569-686-X-3-2004 dated 09.03.2004	4.150	North- Pillar No. 1 to 6. (Pillar No. 1 to 2, Boundary of Khasra No. 417 and Pillar No. 2 to 6, Remaining part of Khasra Nos. 419 and 420.
				419	Small tree of forest		2.000	East- Pillar No. 6 to 8, road.
				420 (P 689)	Small tree of forest		2.330	South- Pillar No. 8 to 13, Boundary of Revenue Village Matapur.
				Total			8.480	West- Pillar No. 13 to 14 and 1, Boundary of Revenue Village Fefri Sarkar.

02	Forest Block Khokhariya	Old-51 New-48 Khokhariya	Khokhariya	421 (P 689)	Small tree of forest		5.650	North- Pillar No. 1 to 3, Boundary of Khasra No. 404
	(B)							East- Pillar No. 3 to 5, road.
								South- Pillar No. 5 to 6, Boundary of Revenue Village Mendapani.
								West- Pillar No. 6 to 8 and 1, road.
				Total			5.650	
				Grant Total			14.130	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-84/2017/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) भोपाल दिनांक 12 मई 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1312-774-दस-3-2006 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।
और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटायें जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 58'33.4" से 21° 59.3'59.53" उत्तर अक्षांश तथा 76° 43'30.07" से 76° 44'34.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला: खण्डवा
तहसील: हरसूद

वनमण्डल: खण्डवा (सामान्य)
वन परिक्षेत्र: सिंगाजी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वनखण्ड बोरी बांदरी(अ)	पुराना-58 नया-50 सडियापानी	बोरी बांदरी	303 (पी 694)	मि.गौचर	म0प्र0 राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2004 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-569-686- दस-3-2004 भोपाल दिनांक 09 मार्च 2004	32.950	उत्तर- मुनारा क. 1 से 4 तक, खसरा क. 291, 290 एवं 289 की सीमा पूर्व- मुनारा क. 4 से 6 तक, खसरा क. 288 एवं 287 की सीमा. दक्षिण- मुनारा क. 6 से 7 तक, नाला की प्राकृतिक सीमा. पश्चिम- मुनारा क. 7 से 10 एवं 1 तक, मुनारा क. 7 से 9 तक, ग्राम सडियापानी की सीमा, मुनारा क. 9 से 10 तक रास्ता, मुनारा क. 10 एवं 1 तक, खसरा क. 54/3 की सीमा.
				योग			32.950	

02	वनखण्ड बोरी बांदरी(स)	पुराना-58 नया-50 सडियापानी	बोरी बांदरी	241 (पी 693)	पंचवन		21.710	उत्तर- मुनारा क. 1 से 5 तक, मुनारा क. 1 से 2 तक,
				251	बडा झाड		0.620	घोडापछाड नदी की सीमा एवं मुनारा क. 2 से
				252	बडा झाड		9.390	5 तक, खसरा क. 242, 243, 244 एवं 245 की सीमा.
				253	पंचवन		2.620	पूर्व- मुनारा क. 5 से 14 तक, मुनारा क. 5 से 10 तक,
				254	बडा झाड		1.400	खसरा क. 246 की सीमा एवं मुनारा क. 10 से 14 तक, घोडापछाड नदी की प्राकृतिक सीमा.
				255	बडा झाड		1.840	दक्षिण- मुनारा क. 14 से 16 तक, खसरा क. 283 की सीमा.
								पश्चिम- मुनारा क. 16 से 29 एवं 1 तक, मुनारा क. 16 से 28 तक, खसरा क. 270, 269, 268, 257, 240, 237 एवं 236 की सीमा एवं मुनारा क. 28 से 29 एवं 1 तक, खसरा क. 241 का शेष भाग
				योग			37.580	
				कुल योग			70.530	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-84-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-84-2017-दस-3, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.-F-25-84/2017/10-3 :: Where as, by this department Notification No. D-1312-774-X-3-2006, Bhopal dated 31 March 2006 Published in the Madhya Pradesh Gazette Bhopal dated 12 May 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 58' 33.4" to 21° 59.3' 59.53" North Latitude and 76° 43' 30.07" to 76° 44' 34.3" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khandwa

Forest Division- Khandwa (T)

Tahsil- Harsud

Forest Range- Singaji

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/PF Block	Khasra No. / PF Comparison	If Revenue Land then head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Forest Block Bori Bandri (A)	Old-58 New-50 Sadiya Pani	Bori Bandri	303 (P 694)	Mi. Gochar	Published 26 March 2004 Notification No. D-569-686-X-3-2004 dated 09.03.2004	32.950	North-Pillar No. 1 to 4, boundary of Khasra Nos. 291,290 and 289. East- Pillar No. 4 to 6, boundary of khasra Nos. 288 and 287. South- Pillar No. 6 to 7, Natural Boundary of Nala. West-Pillar No. 7 to 10 and 1, Pillar No. 7 to 9 boundary of village sadiyapani. Pillar No. 9 to 10, road. Pillar No. 10 and 1, boundary of Khasra No. 54/3.
				Total			32.950	
02	Forest Block Bori Bandri (C)	Old-58 New-50 Sadiya Pani	Bori Bandri	241 (P 693)	Panchvan		21.710	North- Pillar No. 1 to 5, Pillar No. 1 to 2 boundary of Ghodapachad river and Pillar No. 2 to 5 boundaries of Khasra Nos. 242,243, 244 and 245.

			251	Big Tree		0.620	
			252	Big tree		9.390	
			253	Panchvan		2.620	
			254	Big Tree		1.400	East-Pillar No. 5 to 14. Pillar No. 5 to 10 boundary of khasra No. 246 and Pillar No. 10 to 14 natural boundary of Ghodapachad river.
			255	Big Tree		1.840	South- Pillar No. 14 to 16, boundary of khasra No. 283. West- Pillar No. 16 to 29 and 1, Pillar No. 16 to 28 boundaries of Khasra Nos. 270,269, 268, 257, 240, 237 and 236. And Pillar No. 28 to 29 and 1, remaining part of khasr no. 241.
			Total			37.580	
			Grant			70.530	
			Total				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-एफ-25-89-2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-21° 55' 46" से N-21° 56' 10" उत्तर अक्षांश तथा E-74° 54' 56" से E-74° 55' 40" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
- (ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला - बड़वानी
तहसील - पाटी

वनखण्ड - बड़वानी
वन परिक्षेत्र - पाटी

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	सेमल्या खोदरा	पुराना-21 नया-19	सेमल्या खोदरा / संरक्षित वनखंड सेमल्या खोदरा कक्ष क. -पी.339	-	2/1 103/1	26.070 14.755	डी-1204-1653-दस-3-2004/ दिनांक 03-6-2004	11-6-2004	उत्तर-मुनारा क. 1 से 36 तक, खसरा क.- 1 आरक्षित वन, खसरा क.-107, 106, 105, 104, 109, 115 एवं 103 की सीमा। पूर्व-मुनारा क. 36 से 38 तक, आरक्षित वन सीमा, दक्षिण-मुनारा क. 38 से 60 तक खसरा क.- 193/1, 191/1, 119/1, 118, 116, 102, 101, 52, 14 एवं 13 की सीमा। पश्चिम-मुनारा क.-60 से 82 एवं 1 तक खसरा क्रमांक-10/5, 10/4, 10/7, 2/6, 2/5, 10/6, 8, 6, 5, 4 एवं ग्राम डुमरिया खोदरा की सीमा।
	योग					40.825			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

एफ-25-89-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-89-2017-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No. -F-25-89/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between N-21° 55' 46" TO N-21° 56' 10" North Latitude and E-74° 54' 56" TO E-74° 55' 40" East Longitude specified in the.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsil - PATI

Forest Division - BARWANI
Forest Range - PATI

No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
1	2	3	4	Old	New	6	7	8	9	10
1	Semliya Khodra	Old-21 New-19	Semliya Khodra /PF Block Semliya Khodra Compartment No -P-339	-	2/1 103/1	26.070 14.755	The mountain Badi	D-1204-1653- X-3-2004/ Dated 3-6-2004	11-6-2004	North- Pillar No. 1 to 36, Boundaries of Kh. No. 107,106,105, 104, 109, 115 & 103. East- Pillar No. 36 to 38, Boundary of RF. South- Pillar No. 38 to 60, Boundaries of Kh. No. 193/1,191/1,119/1,118, 116, 102,101,52,14&13. West- Pillar No. 60 to 82 & 1, Boundaries of Kh. No. 10/5,10/4,10/7,2/6, 2/5,10/6,8,6,5,4& Village Dumariya Khodra
	Total					40.825				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्रमांक-25-92-2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संदर्भित वनखण्ड बड़सलाय जो कि N-21° 59' 02" से N-21° 59' 20" उत्तर अक्षांश तथा E-75° 18' 10" से E-75° 18' 50" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है ।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है ।

अनुसूची

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	वनमण्डल वन परिक्षेत्र	बड़सानी	
				पुराना	नया						- बड़सानी	- राजपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	बड़सलाय	17	बड़सलाय (संरक्षित वनखंड बड़सलाय कक्ष क.-पी.324)	499/1	499/1	33.516	-	डी.-134-206-दस-3-2004/ दिनांक 21-1-2004	30-1-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 6 तक, खसरा क.- 249, 245/1, 244/3, एवं 244/4 की सीमा । पूर्व:-मुनारा क. 6 से 7 तक, शासकीय भूमि खसरा क. 499/9 की सीमा । दक्षिण:-मुनारा क. 7 से 11 तक, खसरा क. 499 (नाला) 499/4, एवं 499/3 की सीमा । पश्चिम:-मुनारा क.-11 से 13 एवं 1 तक, खसरा क.- 250 की सीमा.		
	योग					33.516						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-25-92-2017-दस-3.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-92-2017-दस-3, दिनांक 4 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th August 2018

No.-F-25/92/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest Block specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between N- 21° 59' 02'' TO N-21° 59' 20'' North Latitude and 75° 18' 10'' TO E-75° 18' 50'' East Longitude specified in the.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsil - THIKRI

Forest Division - BARWANI
Forest Range - RAJPUR

No.	Reserve Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Badsalay	17	Badsalay (PF Block Badsalay Comp.No. P-324)	499/1	499/1	33.516	-	D-134-206-X-3-2004/ Dated 21-1-2004	30-1-2004	North- Pillar No. 1 to 6, Boundaries of Kh. No. 249,245/1,244/3 & 244/4. East- Pillar No. 6 to 7, Boundaries of Govt. Land Kh. No. 499/9 South- Pillar No. 7 to 11, Boundaries of Kh No. 499(Nala), 499/4&499/3 West- Pillar No. 11 to 13 & 1, Boundary of Kh No. 250.
Total						33.516				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 27 जुलाई 2018

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम गदईशापिपल्या तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-

अनुसूची-1

ग्राम- गदईशापिपल्या तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना	0.500	0.220	0.720

अनुसूची-2

इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम बीराखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- गदईशापिपल्या तहसील-देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	किशोरीलाल पिता नंदराम जाति भील	153/2	0.380	--	0.380	0.120	--	0.120
2.	पूनमचंद पिता नंदा जाति बलाई	159	--	0.090	0.090	--	0.030	0.030
3.	रामप्रसाद, हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई बेवा किशन जाति बलाई	160	--	0.070	0.070	--	0.030	0.030
4.	संजय पिता प्रहलाद जाति बलाई निवासी ग्राम बालगढ़	161	0.150	--	0.150	0.060	--	0.060

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	भागीरथ पिता मल्लाजी जाति गारी	162	0.150	--	0.150	0.060	--	0.060
6.	धर्मेन्द्र, कमल पिता उमराव गीताबाई विधवा उमराव जाति गारी	175/1	0.560	--	0.560	0.080	--	0.080
7.	सरदार पिता धुलजी जाति गारी	176	0.760	--	0.760	0.170	--	0.170
8.	मोहम्मद असलम भोख, मोहम्मद अकरम भोख पिता मोहम्मद हुसैन भोख जाति नायता	177	--	0.250	0.250	--	0.160	0.160
9.	रूगनाथ पिता छोटू गारी	173	1.140	--	1.140	0.010	--	0.010
	कुल योग		3.140	0.410	3.550	0.500	0.220	0.720

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 25 जुलाई 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 28-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	केलमनिया	3.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	केलमनिया जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	पठरा	2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	केलमनिया जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-2017-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	भमरहा	1.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	केलमनिया जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2017-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	खैरबना	2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 32-अ-82-2017-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है.

है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	बरेली	7.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	मझौली	36.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 34-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	डोंगरीटोला	1.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 35-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	कठौतिया	40.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना के बांध एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	ओढकी	20.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	जलहली नाला जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 37-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2)

के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	कोलमीछोट	32.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	बनियानाला जलाशय योजना में बांध का डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 38-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	बिलटिकुरी	5.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	बनियानाला जलाशय योजना में बांध एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 39-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	भुमकार	32.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	बनियानाला जलाशय योजना में बांध एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 40-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	देवरी नं. 1	40.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	उल्टीधार जलाशय योजना के बांध एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 41-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	देवदहा	41.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	उल्टीधार जलाशय योजना के बांध एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 42-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	सालेबहरा	4.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	उल्टीधार जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 43-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	असवारी	4.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	उल्टीधार जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 44-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	करूआ	2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	उल्टीधार जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 45-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	नौगवां	15.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 46-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	बोदाटोला	33.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 47-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	तितरा	2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 48-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2)

के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	खैरहनी	4.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 49-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	नौगई	15.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 50-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	मोहतरा	16.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	मोहतरा जलाशय योजना की बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्र. भू-अर्जन-पथरिया-2018 क्र. 646-भू-अर्जन-2017-
18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के
अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय-
सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे
अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता
नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक
लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से
किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के
अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2)
में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु
अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) परियोजना का नाम—साजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण—

- (1) जिला—दमोह
(2) तहसील—पथरिया
(3) ग्राम—डूडा
(4) पट. ह.नं.—01

खसरा नंबर क्षेत्रफल कुल रकबा अर्जित भूमि
(हेक्ट. में) रकबा (हेक्ट. में)

(1)	(2)	(3)
9/1/1	0.08	0.08
10/1/1	0.09	0.09
11/1/1	0.05	0.05
18/1	0.17	0.17
22/2/1	0.65	0.65
372/4	0.02	0.02
74	0.10	0.10
162/1	0.85	0.85

(1)	(2)	(3)
163/1	0.06	0.06
7/3	0.07	0.07
128	0.05	0.05
164/1	0.846	0.846
175	0.288	0.288
418/3	0.18	0.18
330/2	0.26	0.26
372/3	0.576	0.576
70	0.40	0.40
23/1	0.02	0.02
372/472/2	0.57	0.57
320	0.80	0.30
155	0.855	0.855
413/2	0.48	0.15
68/1	0.15	0.15
372/472/1	0.08	0.08
414/2	0.50	0.50
19/1	0.15	0.15
20/1	0.17	0.17
23/3/1	0.53	0.53
136/2/1	0.10	0.10
5/2	0.08	0.08
134/2	0.23	0.23
136/1	0.10	0.10
136/3	0.40	0.40
150/1	0.45	0.45
150/2	0.20	0.20
155	0.95	0.95
329/1	0.60	0.60
कुल . .	12.155	11.325

(5) अर्जन भूमि का क्षेत्रफल—11.325

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया
तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा
मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. विजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2018

पत्र क्र. 219-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—खैरा नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.053 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
208	0.053
योग . .	<u>0.053</u>

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा नहर संभाग अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 220-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना

- (ग) ग्राम—नरसिंहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.670 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/1/5	
4/2/1	
4/3/1	
4/3/2	
4/1/7	
4/2/4	
4/3/4	
4/3/5	
4/1/8	
4/2/5	
4/3/6	
4/3/7	
4/3/ग	
4/1/9	
4/2/6	0.670
4/3/8	
4/3/9	
4/1/10	
4/2/7	
4/3/10	
4/3/11	
4/2/8	
4/3/12	
4/3/13	
4/2/ख	
4/2/ग	

योग . . 0.670

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा नहर संभाग अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.